न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 10 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रहमान खां पुत्र उरसा खां **बनाम**
2. मोहम्मद खां पुत्र मांगीना खां
3. रमजान खां पुत्र लतीफ खां
4. इलियास पुत्र सहीदाद खां
5. शाहमीर पुत्र महेन्द्र खां जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1. राजस्थान राज्य श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर।
2. ग्राम पंचायत कंटल का पार जरिये सरपंच।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा मौजा कंटल का पार में आबादी विस्तार हेतु आंवटित भूमि बाबत आदेश क्रमांक पी 12(3)(131)राज. / 2009 / 1373 दिनांक 08.02.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री दलपतसिंह सिसोदिया रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 11.06.2019

यह अपील धारा 75राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण ने इस आशय से पेश की है कि अपीलकर्ता ग्राम कंटल के पार के मूलं निवासी है तथा गांव के जागरूक एवं सजग नागरिक है तथा अपने व अपने गांव के हितो की रक्षा करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत कंटल का पार के खसरा संख्या 64 / 4 रकबा 212.04 बीघा गैर मुमकिन गोचर में से 05 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आंवटन करने का निवेदन किया गया जिस पर श्रीमान तहसीलदार रामसर द्वारा बाद जांच प्रस्तावित भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने की अनुशंषा की गई तथा साथ में उतरदाता संख्या 02 द्वारा प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 07 दिनांक 31.07.2009 को सर्वसम्मति से आबादी भूमि की आवश्यकता होने से भूमि आंवटन करने की सिफारिश की गई जिस पर जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा आदेश पत्रावली पी 12(3)(131)(राज)2009/8821 दिनांक 06.09.2009 को खसरा संख्या 64/4 में 5 बीघा भूमि गैर मुमकिन गोचर से खारिज कर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार आबादी विस्तार हेतु निशुल्क आंवटन की गई तथा उक्त आदेश की पालना में उक्त 5 बीघा भूमि का कब्जा उतरदाता संख्या 2 को सुपुर्द किया एवं राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कर अलग तरमीम की गई। तत्पश्चात मौजा कंटल का पार में पंचायती राज चुनाव सम्पन्न होने के कारण मौजा कंटल का पार में बसीर खां सरपंच चुने गये तथा सरपंच द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति करने हेतु एवं आवंटत भूमि अपने परिवारजनो को आंवटित करने के उद्देश्य से दिनांक 13.06.2011 को आंवटित भूमि को गांव से करीबन 01 किलोमीटर दूर तरमीम दुरस्ती हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रासमर को आवेदन भिजवाया तथा सरपंच बीसर खां द्वारा पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर उक्त आंवटित भूमि को इस आधार पर "की जन सुविधाए व सरकारी कार्यालय होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं डुब क्षेत्र में होने से तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। की रिपोर्ट करवाकर उतरदाता संख्या 01 को प्रेषित कर दी इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

अपील मिंयाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गए। रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण ग्राम कंटल के पार के निवासी और जागरूक नागरिक है। ग्राम पंचायत को आवंटित सार्वजनिक आबादी भूमि में वे भी पात्र होने के कारण हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए अनुमति सहित अपील स्वीकार करने का निवेदन है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने में पूर्व सरपंच द्वारा अपने निजी फायदे एवं स्वार्थ के कारण ग्राम पंचायत के लेटर पेड का दूरूपयोग करते हुए उक्त तरमीम शुद्धि करवाने के जरिये पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्रेषित करवाई गई जबकि वास्तव में उक्त कृत्य का न तो पंचायत के ध्यान में लाया गया और न ही मौजा कंटल के पार के निवासीयो के हितो के विरूद्ध जाकर अपनी निजि रय के अनुसार उक्त तरमीम गलत रूप से करवाई गई है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिसका ज्ञान तत्कालिन समय ग्रामवासीयो को नहीं हो सका। वर्तमान में ग्रामवासीयों द्वारा आंवटित भूमि पर बसने हेतु पंचायत के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा आवेदन किया गया तब पंचायत के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा आवेदन किया गया तब पंचायत के ग्राम सेवक द्वारा यह बताया गया कि पूर्व सरपंच ने इस भूमि को परिवर्तन करवाकर गांव से एक किलोमीटर दूर भूमि की तरमीम कर दी है इसलिए आपको वहां बसना होगा। अपीलाधीन आदेश का अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्तागण द्वारा एक रिव्यु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपील पेश करने के निर्देश दिये गये। अपीलाधीन आदेश से तब्दील तरमीम के स्थल वाली भूमि में कोई पट्टा दिया गया हो तो उसका रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में रख कर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करवाकर आवंटित भूमि की तरमीम करीबन एक किलोमीटर दूर गलत रूप से करवाई गई है। जबकि उक्त भूमि पर जल भराव नहीं है। तरमीम गांव से करीबन एक किलोमीटर दुर अवस्थित है जहां पर जनसुविधाए उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग बसना नहीं चाहते है तथा ग्रामवासियों द्वारा कई बार जिला कलक्टर बाड़मेर को तरमीम शुद्धि हेतु ज्ञापन भी प्रस्तुत किये गये। मौजा कंटल का पार ग्रामवासी आबादी के बीचो बीच बसना चाहते है इस कारण से पुनः इसी स्थान पर जहां श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 06.09.2009 की पालना में तरमीम की गई वहां पर तरमीम की जाती है तो ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपति या उज्र एतराज नहीं है। बल्कि ग्रामवासियो को जनसुविधाए पास में उपलब्ध होने के कारण उनको जन सुविधाए आसानी से उपलब्ध हो जावेगी। अपीलाधीन आदेश से तब्दील तरमीम के स्थल वाली भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कोई पट्टा दिया गया हो तो उसका रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे तो मुझे कोई आपति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि वर्तमान में ग्रामवासीयों द्वारा आंवटित भूमि पर बसने हेतु पंचायत के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा आवेदन किया गया तब पंचायत के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा आवेदन किया गया तब पंचायत के ग्राम सेवक द्वारा यह बताया गया कि पूर्व सरपंच ने इस भूमि को परिवर्तन करवाकर गांव से एक किलोमीटर दूर भूमि की तरमीम कर दी है इसलिए आपको वहां बसना होगा। अपीलाधीन आदेश का अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्तागण द्वारा एक रिव्यु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपील पेश करने के निर्देश दिये गये। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है, अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं तथा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत कंटल का पार के प्रस्ताव एवं मांग पर बाद मौका निरीक्षण, जाँच एवं चैकलिस्ट मय राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट पर आबादी हेतु आवंटित की गयी। इसके बाद ग्राम पंचायत के नवीन प्रस्ताव पर इसके स्थल को बदल कर नयी जगह तरमीम कर दी गई जिसमें आधार यह दर्शाया गया कि मौके पर भूमि में पानी का भराव होता है। पूर्व में प्रस्तावित एवं आवंटित मूल तरमीशुदा भूमि ग्राम की आबादी एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विभिन्न राजकीय संस्थानों को आंवटित भूमि के निकट एवं उपयुक्त थी। इसके साथ ही इस भूमि का आबादी रूप में उपभोग किया जा चुका था, जो प्रस्ताव के संलग्न पात्र व्यक्तियों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सूची से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत कंटल का पार के प्रस्तुत जबाव के आधार पर भी यही स्पष्ट होता है कि तत्समय दिया गया प्रस्ताव सही एवं उपयुक्त था। बाद में नए चुने गए सरपंच ने प्रस्ताव देकर आंवटित भूमि की तरमीम आबादी से एक किलोमीटर दूर अलग–थलग जगह करवाई जिसका कोई तथ्यपरक आधार नहीं है। पूर्व में प्रस्तावित भूमि पर जल भराव नहीं होना भी जाहिर किया हैं। अपीलाधीन आदेश से तब्दील तरमीम के स्थल वाली भूमि में कोई पट्टा दिया गया हो तो उसका रिकॉर्ड पंचायत में नहीं उपलब्ध होना बताया गया है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन आदेश तथ्यों से परे एवं युक्तियुक्त नहीं होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा मौजा कंटल का पार में आबादी विस्तार हेतु आंवटित भूमि बाबत आदेश क्रमांक पी 12(3)(131)राज./2009/1373 दिनांक 08.02.2012 को निरस्त किया जाता है तथा उनके इससे पूर्व के आदेश एवं उसमें आवंटित भूमि की तरमीम को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम पंचायत आवश्यक एवं मानदण्ड के अनुरूप मांग हो तो आबादी हेतु अतिरिक्त भूमि के आवंटन बाबत आवेदन करने को स्वतंत्र है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

11/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner